

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

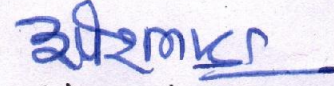
क्रमांक:- एफ.4(ई)/एपीओ/ अलेसे-III/553

दिनांक :- 16/07/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5
1	11341	श्री प्रेमप्रकाश मीना, कनि. लेखाकार	दिनांक 01.03.2021 से 04.03.2021 (04 दिवस) दिनांक 25.02.2021 से 26.02.2021 (02 दिवस के आकस्मिक अवकाश सहित) दिनांक 27.02.2021 से 28.02.2021 (02 दिवस के राजपत्रित अवकाश सहित) 22.02.2021 से 24.02.2021 तक कर्तव्य अवधि	कार्यालय कोषाधिकारी, दौसा


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एपीओ/ अलेसे-III/553

दिनांक :- 16/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
- संबंधित विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण-पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
- निजी सचिव, निदेशक।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हुते।
- रक्षित निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)